संख्या-93/2026/1550/2026-001-27-10099/1228/2021-10

प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2026

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक 4702-102-03-0301-25 ''उपकरणों का प्रतिस्थापन (जनपद योजना)'' के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की प्रस्तावित कार्ययोजना एवं उससे आच्छादित परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1759/03-54/जनपद योजना/2026-27/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 06.07.2026 एवं पत्रांक-2188/03-54/जनपद योजना/2026-27/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 18.08.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 26.08.2014, 21.11.2017 एवं 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक 4702-102-03-0301-25 ''उपकरणों का प्रतिस्थापन (जनपद योजना)'' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित विभिन्न जनपदों की परियोजनाओं हेतु तालिका के कॉलम-8 में अंकित धनराशि के अनुसार जनपद योजना हेतु कुल धनराशि रू0 8000.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष धनराशि रू0 8000.00 लाख (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) अधोलिखित शर्तों के अधीन निर्गत कर अवमुक्त/व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	प्रदेश में दिनांक 01-04-2026 को जनपदवार / खण्डवार / क्यूसेकवार कुल चलित नलकूपों का विवरण						कार्य योजना की धनराशि (जी. एस. टी. व लेबर सेस सहित) (लाख रू0 में)
	जनपद का नाम	जनपद में चलित नलकूपों की संख्या	खण्ड का नाम	1.5 क्यूसेक	1.0 क्यूसेक	खण्ड में चलित नलकूपों की संख्या	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	मेरठ	393	नलकूप खण्ड पूर्व मेरठ	198	88	286	**65.30**
			नलकूप खण्ड पश्चिम बागपत	75	32	107	**25.92**
2	बागपत	284	नलकूप खंण्ड पश्चिम बागपत	147	137	284	**65.24**
3	बुलन्दशहर	536	नलकूप खंण्ड उत्तर बुलन्दशहर	368	168	536	**117.43**
4	गौतमबुद्धनगर	75	नलकूप खंण्ड गाजियाबाद	56	19	75	**17.98**
5	गाजियाबाद	93	नलकूप खण्ड गाजियाबाद	54	39	93	**22.77**
6	हापुड़	158	नलकूप खण्ड गाजियाबाद	103	55	158	**35.95**
7	सहारनपुर	580	नलकूप खण्ड सहारनपुर	365	84	449	**102.28**
			नलकूप खण्ड शामली	108	23	131	**29.05**
8	मुजफ्फरनगर	411	नलकूप खण्ड मुजफ्फरनगर	271	140	411	**93.10**
9	शामली	97	नलकूप खण्ड शामली	78	19	97	**25.40**
10	आगरा	333	नलकूप खंण्ड आगरा	238	95	333	**68.99**
11	फिरोजाबाद	383	नलकूप खण्ड फिरोजाबाद	180	203	383	**88.86**
12	मथुरा	1	नलकूप खण्ड आगरा	1	0	1	**0.00**
13	मैनपुरी	616	नलकूप खंण्ड मैनपुरी	227	389	616	**120.34**
14	हाथरस	198	नलकूप खंण्ड -1 अलीगढ	101	97	198	**41.78**
15	अलीगढ	663	नलकूप खंण्ड -1 अलीगढ	212	97	309	**74.07**
			नलकूप खंण्ड -2 अलीगढ	252	102	354	**82.42**
16	एटा	373	नलकूप खंण्ड एटा	244	129	373	**84.97**
17	कासगंज	444	नलकूप खंण्ड कासगंज	256	188	444	**98.23**
18	मुरादाबाद	580	नलकूप खण्ड मुरादाबाद	300	157	457	**101.58**
			नलकूप खण्ड चन्दौसी	95	28	123	**30.00**
19	सम्भल	618	नलकूप खण्ड चन्दौसी	370	168	538	**111.17**
			नलकूप खंण्ड मुरादाबाद	68	12	80	**19.20**
20	अमरोहा	314	नलकूप खंण्ड अमरोहा	213	101	314	**69.69**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

21	बिजनौर	751	नलकूप खंण्ड अमरोहा	159	14	173	**41.61**
			नलकूप खंण्ड बिजनौर	399	179	578	**119.44**
22	रामपुर	450	नलकूप खंण्ड रामपुर	287	163	450	**98.57**
23	बरेली	850	नलकूप खंण्ड -1 बरेली	407	175	582	**111.45**
			नलकूप खंण्ड -2 बरेली	197	71	268	**60.72**
24	पीलीभीत	234	नलकूप खण्ड -2 बरेली	114	120	234	**57.72**
25	बदायूँ	1222	नलकूप खंण्ड -1 बदायूँ	249	157	406	**86.77**
			नलकूप खंण्ड -2 बदायूँ	380	34	414	**100.07**
			नलकूप खंण्ड -3 बदायूँ	269	133	402	**90.30**
26	शाहजहाँपुर	630	नलकूप खंण्ड शाहजहाँपुर	389	241	630	**130.33**
27	लखनऊ	412	नलकूप खंण्ड लखनऊ	269	143	412	**91.90**
28	उन्नाव	238	नलकूप खंण्ड उन्नाव	134	104	238	**62.48**
29	हरदोई	739	नलकूप खंण्ड हरदोई	479	260	739	**139.63**
30	रायबरेली	413	नलकूप खंण्ड रायबरेली	265	148	413	**102.43**
31	सीतापुर	828	नलकूप खंण्ड -1 सीतापुर	412	108	520	**109.19**
			नलकूप खंण्ड -2 सीतापुर	234	74	308	**69.85**
32	लखीमपुर	827	नलकूप खंण्ड -2 सीतापुर	146	48	194	**55.01**
			नलकूप खंण्ड -1 लखीमपुर	514	119	633	**131.92**
33	कानपुर नगर	348	नलकूप खण्ड, प्रथम कानपुर	211	137	348	**82.94**
34	कानपुर देहात	487	नलकूप खण्ड, कानपुर देहात	243	244	487	**96.20**
35	जालौन	726	नलकूप खण्ड -1 उरई	263	125	388	**92.73**
			नलकूप खण्ड -2 उरई	186	152	338	**81.76**
36	झाँसी	172	नलकूप खण्ड -2 उरई	73	99	172	**35.97**
37	ललितपुर	1	नलकूप खण्ड -2 उरई	1	0	1	**0.00**
38	बांदा	667	नलकूप खण्ड बाँदा	385	282	667	**132.58**
39	चित्रकूट	20	नलकूप खण्ड बाँदा	4	16	20	**10.78**
40	हमीरपुर	560	नलकूप खण्ड,हमीरपुर	380	180	560	**135.41**
41	महोबा	0	नलकूप खण्ड,हमीरपुर	0	0	0	**0.00**
42	इटावा	491	नलकूप खण्ड प्रथम,इटावा	189	302	491	**105.72**
43	औरैया	403	नलकूप खण्ड औरैया	228	175	403	**93.85**
44	कन्नौज	306	नलकूप खण्ड कन्नौज	149	157	306	**64.83**
45	फर्रुखाबाद	346	नलकूप खण्ड फर्रूखाबाद	216	130	346	**69.94**
46	अयोध्या	777	नलकूप खण्ड अयोध्या	415	245	660	**142.78**
			नलकूप खण्ड बाराबंकी	84	33	117	**26.53**
47	अम्बेडकरनगर	548	नलकूप खण्ड अम्बेडकरनगर	388	160	548	**118.47**
48	सुल्तानपुर	523	नलकूप खण्ड सुल्तानपुर	373	150	523	**119.22**
49	अमेठी	378	नलकूप खण्ड अमेठी	259	119	378	**89.57**
50	बाराबंकी	370	नलकूप खण्ड बाराबंकी	190	180	370	**86.97**
51	गोण्डा	651	नलकूप खण्ड गोण्डा	397	254	651	**137.28**
52	बलरामपुर	419	नलकूप खण्ड बलरामपुर	243	176	419	**86.32**
53	बहराइच	643	नलकूप खण्ड बहराइच	284	122	406	**82.51**
			नलकूप खण्ड नानपारा	160	77	237	**54.90**
54	श्रावस्ती	230	नलकूप खण्ड बहराइच	74	57	131	**29.88**
			नलकूप खण्ड नानपारा	47	52	99	**24.29**
55	गोरखपुर	1239	नलकूप खंण्ड-1 गोरखपुर	343	128	471	**104.44**
			नलकूप खण्ड-2 गोरखपुर	443	144	587	**128.54**
			नलकूप खण्ड महाराजगंज	146	35	181	**40.22**
56	देवरिया	1046	नलकूप अनु.खंण्ड देवरिया	318	120	438	**93.23**
			नलकूप खंण्ड सलेमपुर	474	134	608	**134.44**
57	कुशीनगर	288	नलकूप अनु.खंण्ड देवरिया	120	168	288	**67.43**
58	महाराजगंज	366	नलकूप खंण्ड महाराजगंज	213	153	366	**79.71**
59	बस्ती	668	नलकूप खंण्ड बस्ती	469	199	668	**140.32**
60	संतकबीरनगर	541	नलकूप खंण्ड संतकबीरनगर	343	198	541	**122.88**
61	सिद्धार्थनगर	471	नलकूप खंण्ड सिद्धार्थनगर	290	181	471	**103.15**
62	वाराणसी	831	नलकूप खण्ड-1 वाराणसी	419	146	565	**117.73**
			नलकूप खण्ड चन्दौली	191	75	266	**57.32**
63	चन्दौली	360	नलकूप खंण्ड चन्दौली	168	192	360	**81.03**
64	जौनपुर	584	नलकूप खण्ड जौनपुर	392	192	584	**123.61**
65	गाजीपुर	861	नलकूप खण्ड-1 गाजीपुर	344	116	460	**95.47**
			नलकूप खण्ड-2 गाजीपुर	281	120	401	**90.13**
66	मिर्जापुर	517	नलकूप खंण्ड मिर्जापुर	349	168	517	**109.95**
67	भदोही (सं0 रवि0 न0)	528	नलकूप अनु.खण्ड भदोही (संत रविदास नगर)	420	108	528	**116.73**
68	प्रयागराज	1138	नलकूप खण्ड-1 प्रयागराज	36	17	53	**15.87**
			नलकूप खण्ड-2 प्रयागराज	383	168	551	**123.11**
			नलकूप खण्ड-3 प्रयागराज	369	165	534	**120.16**
69	कौशाम्बी	405	नलकूप खण्ड-1 प्रयागराज	255	150	405	**99.85**
70	फतेहपुर	595	नलकूप खण्ड फतेहपुर	455	140	595	**158.48**
71	प्रतापगढ	156	नलकूप खण्ड-2 प्रयागराज	76	80	156	**35.31**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

72	आजमगढ	622	नलकूप खण्ड आजमगढ	378	244	622	**126.50**
73	मऊ	402	नलकूप खण्ड मऊ	265	137	402	**79.27**
74	बलिया	914	नलकूप खण्ड मऊ	172	56	228	**49.34**
			नलकूप खण्ड-2 बलिया	472	214	686	**133.27**
कुल योग		**36342**		**23909**	**12433**	**36342**	**8000.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा आप यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभागाध्यक्ष का होगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(7) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुमोदित कार्य पर व्यय किया जाय तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाय।

(8) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) विभागाध्यक्ष अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) विभागाध्यक्ष द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(14) प्रश्नगत परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के पूर्व, कराये गये कार्यों के दौरान तथा कार्यों की समाप्ति के उपरान्त जियोटैगिंग कराते हुए फोटोग्राफ्स एवं वीडियोग्राफी अवश्य कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,00,00,000 (रुपये अस्सी करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020301 पम्प सेटो/ गूलो का निर्माण/ जीर्णोदार मानक मद 25 लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या- 93/2026/1550(1)/2026-001-27-10099/1228/2021-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
(6) संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0, द्वारा-प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) समस्त मुख्य अभियन्ता (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, **द्वारा**- प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(9) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(10) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(13) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।